



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी
Human Resource Management Department

भारतीय रिज़र्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंध विभाग गुवाहाटी

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी और आरबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्ती, जीएस रोड, गुवाहाटी में आवासीय क्वार्टरों में फायर स्टाफ (फायर सुपरवाइजर और फायर फाइटर) की तैनाती के लिए ई-टेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद RBI कहा जाएगा), मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी, योग्य कंपनियों/फर्मों/एजेंसियों से दो भागों (भाग I और II) में ई-टेंडर आमंत्रित करता है। यह टेंडर 01 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 (07 महीने) की अवधि के लिए चार (04) अत्यधिक कुशल फायर सुपरवाइजर (जिसमें एक रिलीवर शामिल है) और ग्यारह (11) कुशल फायर फाइटर (जिसमें दो रिलीवर शामिल हैं) की तैनाती के लिए है, जो पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों।

12 महीने के लिए काम की अनुमानित लागत (जीएसटी को छोड़कर)	बयाना धन जमा (अनुमानित लागत का 2%)
₹65,00,000/-	₹1,30,000/-

ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई, 2026 को 17:00 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "निविदा" अनुभाग पर जाएं और निविदा अपलोड करने के लिए कृपया <https://www.mstcecommerce.com> पर एमएसटीसी वेबसाइट पर जाएं और पंजीकरण करें। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक: 24 जून 2026

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
गुवाहाटी



मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी
Human Resource Management Department

अस्वीकरण

बैंक ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे क्रम में मानता है, न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या उनके संबंधित अधिकारियों में से कोई अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देते हैं या कोई भी अभ्यावेदन देते हैं, व्यक्त या निहित करते हैं जो इसके साथ प्रदान की जा सकती है।

जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी। उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। निविदा में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, भविष्य में जारी किया जाएगा, केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

यह निविदा दस्तावेज न तो एक प्रस्ताव पत्र है और न ही एक कानूनी संविदा है, बल्कि प्रस्ताव के लिए एक निमंत्रण है। इस निविदा-प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक के विधिवत अधिकृत अधिकारियों और निविदाकर्ता द्वारा औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर और निष्पादित नहीं किए जाते हैं। निविदाकर्ता, निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, निविदा दस्तावेजों के विवरण को हर समय गुप्त और गोपनीय मानेगा। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विषय-सूची

क्रम संख्या	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1	निविदा आमंत्रित करने की सूचना	4-5
2	भाग I, खंड I: ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	6-9
3	भाग I, खंड II: पूर्व-पात्रता मानदंड	10-12
4	भाग I, खंड III: निविदाकर्ताओं को निर्देश	13-16
5	भाग I, खंड IV: तकनीकी बोली	17-19
6	भाग I, खंड V: घोषणा	20
7	भाग I, खंड VI: कार्य का विस्तृत दायरा	21-22
8	भाग I, खंड VII: भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के मुख्य कार्यालय परिसर में अत्यधिक कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों की तैनाती के लिए नियम और शर्तें	23-30
9	अनुलग्नक I: पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान निष्पादित इसी तरह के कार्यों का विवरण	31
10	अनुलग्नक II: बैंकर्स प्रमाणपत्र	32-33
11	अनुलग्नक III: बैंकों का विवरण	34
12	अनुलग्नक IV: ग्राहक की रिपोर्ट	35
13	अनुलग्नक V: बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा	36-38
14	अनुलग्नक VI: बोली मूल्यांकन प्रक्रिया	39
15	भाग II: वित्तीय बोली/मूल्य बोली	40-42

निविदा आमंत्रित करने की सूचना
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)
निविदा अनुसूची (एसओटी)

ई-टेंडर की अनुसूची इस प्रकार है

1	विभाग का नाम	मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी
2	ई-निविदा सं.	
3	कार्यों का विवरण	बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी और आरबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्ती, जीएस रोड, गुवाहाटी में आवासीय क्वार्टरों में अग्निशमन स्टाफ (फायर सुपरवाइजर और फायर फाइटर) की तैनाती
4	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ख) https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली)
5	अनुमानित लागत	₹65,00,000/- (जीएसटी को छोड़कर)
6	बयाना धन जमा	₹1,30,000/- (अनुमानित लागत का 2%) [एनईएफटी/ डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी के पक्ष में खाता संख्या - 8692299, IFSC – RBIS0GWPA01 में जमा किया जाना है, जिसमें एनईएफटी लेनदेन टिप्पणियों में आपका नाम / कंपनी का नाम / निविदा का नाम उल्लेख किया गया हो]
7	उद्धृत दरों की वैधता	ई-टेंडर के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिन
8	प्रदर्शन की गारंटी	₹3,25,000/- (अनुमानित लागत का 5%)
	प्रेस में एनआईटी का प्रकाशन, बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल	24 जून 2026, 11:00 बजे

9	पार्टियों के देखने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	24 जून 2026 से 03 जुलाई 2026 तक
10	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा शुल्क के अनुसार, शुल्क एमएसटीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
11	बोली पूर्व बैठक का कार्यक्रम	10 जुलाई 2026, 11:00 बजे स्थान – चौथी मंजिल, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी
12	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि, यदि कोई हो।	14 जुलाई, 2026
13	एमएसटीसी वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	24 जून 2026, 11:00 बजे
14	तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	24 जुलाई 2026, 17:00 बजे
15	भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	24 जुलाई 2026, 17:00 बजे तक
16	भाग I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय	28 जुलाई 2026, 11:00 बजे से
17	मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय	उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

भाग I, खंड I
ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए ई-निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

(A) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ निविदाकर्ता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, निविदाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। निविदाकर्ता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। निविदाकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष लेख:

तकनीकी बोली www.mstcecommerce.com पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।

निविदाकर्ताओं को ई-प्रोक्योरमेंट → कॉमन पोर्टल → www.mstcecommerce.com के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है → निविदाकर्ता लॉगिन → रजिस्टर → विवरण भरना और जमा करने → अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना

निविदाकर्ताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

MSTC तकनीकी सहायता डेस्क – 07969066600 (सिस्टम सेटिंग्स के लिए)

क्रम संख्या	व्यक्ति से संपर्क करें	ई-मेल	फोन नंबर।	तकनीकी सहायता
1	श्री प्रशांत चितरंजन, एम	ghyopn2@mstcindia.in	8592888286	0361 -2221199
2	श्री देबायन कर, एएम	ghyopn3@mstcindia.in	9831149790	
3	श्री श्रीराजन गुप्ता, एमटी	ghyopn1@mstcindia.in	9690044570	

संपर्क व्यक्ति (भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी):

क्रम संख्या	व्यक्ति से संपर्क करें	ई-मेल	फोन नंबर।
1	श्री प्रांजल सरमा	pranjalsarma@rbi.org.in	0361-2734470
2	श्री ऋषिकेश राभा	hrabha@rbi.org.in	

(B) सिस्टम आवश्यकताएँ:

- विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट एक्सप्लोरर
- हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है।
- "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट करने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू किया जा सकता है।
 - Tools => Internet Options => Security => Disable protected Mode if enabled - i.e., Remove the tick from the tick box mentioning "Enable Protected Mode".

(C) Other Settings:

- Tools => Internet Options => General => Click on Settings under "browsing history/ Delete Browsing History" => Temporary Internet Files => Activate "Every time I Visit the Webpage".
- To enable ALL active X controls and disable 'use pop up blocker' under Tools → Internet Options → custom level (Please run IE settings from the page <https://www.mstcecommerce.com> once).

(D) बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले निविदाकार मार्गदर्शिका और वीडियो गाइड देखें।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा करना होगा। निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

2) लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

निविदाकर्ता निविदाकर्ता लॉगिन में "मेरा मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। निविदाकर्ताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा।

निविदाकर्ता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, निविदाकर्ता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। निविदाकर्ता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को उसमें बदलाव किए बिना भेज देगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, निविदाकर्ता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और निविदाकर्ता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

3) लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक निविदाकर्ता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।

4) निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी पोर्टल के साथ पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

5) निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।

6) **ई-टेंडर में बोली:**

क. निविदाकर्ता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल निविदाकर्ता (ओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

ख. इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।

ग. जिन निविदाकर्ताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → कॉमन पोर्टल → निविदाकर्ता लॉगिन → मेरे मेनू → रजिस्टर करें → नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।

घ. निविदाकर्ता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें, यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है, तो निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।

- ड. तकनीकी बोली भरने के बाद, निविदाकर्ता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सहेजें' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर निविदाकर्ता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सहेजें" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार दोनों बोलियां सहेज लेने के बाद, निविदाकर्ता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।
- च. निविदाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- छ. सभी मामलों में, निविदाकर्ता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- ज. पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, निविदाकर्ता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- झ. ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा। ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां निविदाकर्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस निविदाकर्ता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी।
- ञ. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ट. क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना किसी कारण के हो।
- ठ. निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी निविदाकर्ता द्वारा ई-टेंडर फ्लोर में बोली जमा करना निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
- ड. इस ई-टेंडर के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
- ढ. निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख का विस्तार करने का अधिकार है।
- ण. निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदाकार गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के <https://www.mstcecommerce.com/eprochome> पेज में वीडियो देखें।
- त. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
- थ. किसी भी निविदाकर्ता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है। इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
- द. बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।

- ध. बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- न. निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदाकार गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com/eprochome पृष्ठ में वीडियो देखें।

भाग I, खंड II

बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी में फायर स्टाफ (फायर सुपरवाइजर और फायर फाइटर्स) की तैनाती के लिए ई-टेंडर

निविदाकर्ता का नाम: _____

पता: _____

बोली-पूर्व बैठक की तिथि: 10 जुलाई 2026

ऑनलाइन जमा करने की तिथि:

निविदा खोलने की तिथि (भाग- I): 28 जुलाई 2026

पूर्व-पात्रता मानदंड

मापदंड	आवश्यकता
1. पिछले अनुभव की अवधि	31 मार्च, 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। टेंडर भरने वालों को अपने क्लाइंट्स की लिस्ट देनी होगी, जिसमें पिछले 5 सालों में किए गए काम का विवरण हो। इस लिस्ट में क्लाइंट का नाम, किए गए काम की वैल्यू आदि जैसी जानकारी शामिल होनी चाहिए। टेंडर भरने वाले को कम से कम 5 साल के अनुभव के समर्थन में दस्तावेज़ी सबूत (जैसा कि Annex I में दिया गया है) जमा करने होंगे। निविदाकर्ता निम्नलिखित खंडों में से किसी में भी सेवाएं प्रदान करना चाहिए (i) चार स्टार होटल या उससे अधिक, (ii) अंतर्राष्ट्रीय/घरेलू हवाई अड्डे, (iii) मेट्रो रेलवे स्टेशन, (iv) लक्जरी शॉपिंग मॉल, (v) प्रतिष्ठित / सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बैंक / उद्यम। निविदाकर्ता को ऊपर उल्लिखित ग्राहकों से कार्य आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए।

	(ई-निविदा पोर्टल में विधिवत भरा हुआ संविदा । अपलोड किया जाएगा)
2. वार्षिक टर्नओवर	31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, अनुमानित लागत के 100% या उससे अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए। टेंडर के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) का सर्टिफिकेट और विधिवत सर्टिफाइड बैलेंस शीट जमा करना अनिवार्य है। बैलेंस शीट और टर्नओवर से संबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट के बिना कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. सेवा सेट अप	निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट कार्य के लिए एक पूर्ण सेवा स्थापित करने के समर्थन में प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना चाहिए। (ई-टेंडरिंग पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)
4. कंपनी/फर्म/एजेंसी का विवरण	कंपनी/फर्म/एजेंसी का पूरा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसी कंपनी के मामले में, पंजीकरण प्रमाण पत्र, कंपनी के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज और सभी निदेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों के विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। साझेदारी फर्म के मामले में, साझेदारी विलेख, पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि कोई हो और फर्म का गठन करने वाले सभी भागीदारों का विवरण और किसी एजेंसी या स्वामित्व के मामले में, उसमें शामिल व्यक्ति/व्यक्तियों के विवरण के साथ-साथ नाम (ओं) और पते (ओं) आदि को शामिल किया जाना चाहिए प्रस्तुत।
5. एजेंसी की क्रेडिट योग्यता	टेंडर भरने वाले को अपनी क्रेडिट योग्यता साबित करने के लिए, एनेक्स II में बताए अनुसार बैंकर का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इस सर्टिफिकेट की वैल्यू टेंडर की अनुमानित लागत ₹65,00,000/- (केवल पैंसठ लाख रुपये) के 100 प्रतिशत या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। (विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक II ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड किया जाएगा)

6. बैंकर और उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी का नाम और पता	निविदाकर्ताओं के बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ पूरे ब्यौरे जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन नंबर। संपर्क कार्यपालकों (यानी वे व्यक्ति जिनसे आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) (लैंडलाइन और मोबाइल), फैक्स नंबर आदि अपलोड किए जाने चाहिए। निविदाकर्ताओं के बैंक खातों का पूरा विवरण जैसे बैंक शाखा का पता, आईएफएस कोड, खाता संख्या और प्रकार, जब खोला जाता है, आदि प्रस्तुत किया जाना चाहिए (अपलोड किया जाना चाहिए)। (विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक III ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड किया जाएगा)
7. ग्राहकों के नाम और पते और उनके वर्तमान संपर्क अधिकारी और कार्य का विवरण	निष्पादित, पुरस्कृत कार्य का ग्राहकवार प्रकार, निष्पादित कार्य की वास्तविक लागत, अधिकारियों/अधिकारियों/विभागों के नाम, पते और संपर्क विवरण जिनके अधीन कार्य किया गया था निष्पादित को सुसज्जित/अपलोड किया जाना चाहिए। (विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक IV ई-टेंडरिंग पोर्टल में अपलोड किया जाएगा)
8. अन्य पात्रता	1. आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए। 2. गुवाहाटी में फ़ायर-फ़ाइटिंग का काम करने के लिए वैलिड लाइसेंस और सभी कानूनी/सरकारी मंजूरी होनी चाहिए। 3. ज़रूरी रजिस्ट्रेशन/लाइसेंस (पैन, सेवा कर, ईएसआई, पीएफ आदि) होने चाहिए और उनके लिए दस्तावेज़ी सबूत भी होने चाहिए। 4. आर्थिक रूप से मज़बूत होना चाहिए और 5. किसी भी वित्तीय संस्थान का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
9. जमा किए जाने वाले दस्तावेज	1 पिछले 3 अकाउंटिंग वर्षों के लिए ऑडिट किया गया या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित अकाउंट्स का स्टेटमेंट। 2 पिछले तीन वर्षों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी। 3 लागू टैक्स रजिस्ट्रेशन की कॉपी, जैसे PAN, GST आदि। संबंधित अथॉरिटी द्वारा जारी कंपनी/फर्म/एजेंसी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की

	काँपी। 4 E.P.F.O. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और E.S.I.C. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की काँपी। 5 टेंडर भरने वाले के बैंकर द्वारा खास तौर पर इस काम के लिए जारी किया गया सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट (जो टेंडर भरने वाले की आर्थिक मज़बूती को दर्शाता हो), जिसकी राशि मौजूदा काम की अनुमानित लागत के बराबर हो। 6 भारत में किसी शेड्यूल्ड बैंक में उनके बैंक अकाउंट की जानकारी। गुवाहाटी में फायर-फाइटिंग का काम करने के लिए सरकारी अथॉरिटी से मिले वैलिड लाइसेंस की काँपी। 7 गुवाहाटी में फायर-फाइटिंग का काम करने के लिए वैलिड लाइसेंस और सभी कानूनी/वैधानिक मंजूरीयों की काँपी
--	--

नोट:

- 1) भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर उसके ग्राहकों से रिपोर्ट प्राप्त करेगा और निविदाओं के भाग-II को खोलने से पहले मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं पाई जाती है और/या उसके / या उसके / उनके ग्राहकों से प्राप्त उनकी निष्पादन रिपोर्ट और/या उनके बैंकों की रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक उसके निविदा प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 2) भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

भाग I, खंड III

निविदाकर्ताओं को निर्देश

1. बोली-पूर्व बैठक (ऑफ़लाइन)

- a) इस दस्तावेज के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले निविदाकर्ताओं को इस दस्तावेज में दिए गए उल्लिखित ईमेल पते पर लिखित रूप में आरबीआई से संपर्क करना होगा या बोली-पूर्व बैठक के दौरान पूछताछ करनी होगी।
- b) निविदाकर्ताओं के नामित प्रतिनिधियों को (तिथि, समय और स्थान) पर एक बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैठक का उद्देश्य मुद्दों को स्पष्ट करना और उस स्तर पर उठाए गए सवालों के जवाब देना होगा।
- c) निविदाकर्ता इस दस्तावेज में उल्लिखित आरबीआई के ईमेल पते पर ई-मेल भेजकर प्रश्न, यदि कोई हो, प्रस्तुत करेंगे, तो बोली-पूर्व बैठक की तारीख से एक दिन पहले नहीं।
- d) बोली-पूर्व बैठक से अनुपस्थिति एक निविदाकर्ता के लिए अयोग्यता का कारण नहीं होगी।

2. निविदा से जुड़े दस्तावेज

निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- ई-टेंडर आमंत्रित करने की सूचना
- तकनीकी बोली विवरण
- वाणिज्यिक बोली विवरण
- एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक या किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के ज़रिए अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट (EMD) जमा करें। यह 'भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी' के पक्ष में और नीचे दिए गए अकाउंट के लिए होना चाहिए।:

खाता संख्या	8692299
आईएफएस कोड	RBIS0GWPA01

- सफल बोलीदाता द्वारा ठेका दिए जाने के बाद प्रस्तुत की जाने वाली निष्पादन बैंक गारंटी का प्रारूप।
- सफल बोलीदाता और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच करार का प्रारूप

3. निविदाओं की वैधता की अवधि

- निविदा निविदा खोलने की तारीख से नब्बे (90) दिनों की अवधि के लिए वैध होगी।
- असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ताओं से उनकी निविदा की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में दी जाएंगी।

4. निविदाओं को जमा करना, सील करना और चिह्नित करना

- इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं जमा करने वाले निविदाकार ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा जमा करने की प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
- निविदाकार अपनी तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।
- यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक निविदा को अस्वीकार करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

5. निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि

- निविदाएं इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज़ में इंगित तिथि और समय के बाद नहीं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से निविदा दस्तावेज में संशोधन करके ई-निविदाएं जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

6. देर से निविदाएं - ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद कोई निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे दरों का उल्लेख करते समय भारत सरकार (श्रम और रोजगार मंत्रालय), मुख्य श्रम आयुक्त (सी), नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा निर्धारित अस्थायी श्रम लागत पर विचार करें।

8. निविदा खोला जाना

आरबीआई अधिसूचित तिथि पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा खोलेगा। निविदा का भाग-I (तकनीकी बोली) उन निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपस्थित होना चुनते हैं। भाग-II (वाणिज्यिक बोली) केवल उन निविदाकर्ताओं के लिए खोला जाएगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भाग-I (तकनीकी बोली) की संवीक्षा के बाद अर्हता/उपयुक्त पाए जाते हैं, जिसे ई-मेल द्वारा सभी पात्र

निविदाकर्ताओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। इस संबंध में आरबीआई का फैसला अंतिम होगा।

9. बोली मूल्यांकन मानदंड

तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन एमएसटीसी पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

मूल्य बोली के मामले में, यदि एक से अधिक एल 1 मौजूद है, तो अनुलग्नक VI में उल्लिखित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी को संविदा प्रदान किया जाएगा।

(नोट: निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी, जो आधिकारिक तौर पर ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जब तक कि सभी निविदाकर्ताओं को संविदा प्रदान करने की जानकारी नहीं दी जाती है)

10. निविदाओं का स्पष्टीकरण

- a) निविदाकर्ताओं की परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और योग्यता में सहायता करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक से किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो आरबीआई के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध करता है और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में आरबीआई द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा, निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव की मांग नहीं की जाएगी, पेशकश की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।
- b) यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए आरबीआई के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

11. संविदा पर हस्ताक्षर

सफल निविदाकर्ता भारतीय स्टाम्प अधिनियम (और इसके बाद के संशोधनों) के अनुसार मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आरबीआई के साथ एक समझौते को निष्पादित करेगा। स्टाम्प शुल्क सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्य सौंपे जाने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के करार को निष्पादित किया गया है और इस संविदा पर सभी निबंधन और शर्तें लागू होंगी।

12. बैंक गारंटी

- a) सफल टेंडर भरने वाले को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के साथ-साथ, अनुलग्नक V में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार ₹3,25,000/- (तीन लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) की बैंक गारंटी (BG) देनी होगी। बीजी कॉन्ट्रैक्ट की अवधि खत्म होने के बाद साठ (60) दिनों तक मान्य होनी चाहिए। बैंक गारंटी मिलने पर ऐसे टेंडर भरने वाले की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
- b) सफल टेंडर भरने वाले द्वारा ₹3,25,000/- (तीन लाख पच्चीस हजार रुपये) की बैंक गारंटी जमा न करने या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर न करने पर, अवार्ड रद्द किया जा सकता है, ईएमडी ज़ब्त की जा सकती है और ऐसे टेंडर भरने वाले को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
- c) संविदा की अवधि समाप्त होने के दो महीने बाद बैंक गारंटी बिना ब्याज के जारी की जाएगी, जब वे संविदा के सफल समापन से संतुष्ट हो जाएंगे और सफल निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई देनदारी नहीं होगी। किसी भी शिकायत या लंबित बकाया के मामले में, बैंक गारंटी को सुरक्षा जमा के रूप में माना जाएगा और सभी बकाया, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही इसका निर्वहन किया जाएगा।

13. अस्वीकरण

- a) हालांकि इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकार खुद को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को तुरंत दी जाएगी। यदि ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तारीख से सात (07) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है।
- b) भारतीय रिज़र्व बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नक सहित इस दस्तावेज को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- c) हालांकि यह दस्तावेज अच्छे विश्वास के साथ तैयार किया गया है, न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसके कर्मचारी या सलाहकार यहां दिए गए किसी भी बयान या चूक या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई भी प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे, और किसी भी कानून के तहत कोई दायित्व नहीं लेंगे। इस दस्तावेज की

सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में क़ानून, नियम या विनियम, भले ही कोई नुक़सान या क्षति उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हो।

नोट-निविदाकर्ता काम की मात्रा का आकलन करने के लिए दरों का उल्लेख करने से पहले साइट पर जा सकते हैं।

भाग I, खंड IV

तकनीकी बोली

द्वारा

.....
.....
.....

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

स्टेशन रोड, पान बाजार गुवाहाटी – 781 001

क्रम	विवरण	निविदाकर्ता द्वारा भरा जाने वाला विवरण
1	निविदाकर्ता का नाम	
2	कंपनी/एजेंसी/फर्म का प्रकार - (चाहे भागीदारी/साझेदारी/एलएलपी/प्रा। लिमिटेड / लिमिटेड कंपनी) स्थापना की तारीख पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि।), पंजीकरण प्राधिकरण, तिथि, संख्या आदि। (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)। कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें	
3	पदनाम के साथ निविदाकर्ता के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम	
4	निविदाकर्ता का पंजीकृत कार्यालय / व्यावसायिक पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के साथ। (a) क्या गुवाहाटी में अपना कार्यालय है (b) गुवाहाटी में स्थानीय कार्यालय का पता। (c) अधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर।	

	कृपया इसके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।	
5	कार्य अनुभव - पूर्व-पात्रता मानदंड और कार्य आदेश, दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित नियमों और शर्तों में आवश्यकता के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण। भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कार्यालय या सरकार/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों में इसी तरह की सेवाओं के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।	
6	क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत वाषक व्यावसायिक कारोबार कार्य की अनुमानित लागत का 100% है। सहायक दस्तावेजों को टर्नओवर के प्रमाण में संलग्न किया जाना चाहिए।	
7	पिछले तीन वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न - वित्तीय वर्ष 2023 - 24, वित्तीय वर्ष 2024 - 25 और वित्तीय वर्ष 2025 - 26 (स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाएगी)	
8	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत श्रम विभाग के साथ पंजीकृत है। (यदि हां, तो अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र की प्रति)	
9	बैंकों के नाम और पते। निविदाकर्ता की ऋण योग्यता के संबंध में बैंकों का प्रमाण पत्र बैंकर द्वारा इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार उनके लेटरहेड पर दिया जाना है।	
10	मौजूदा ग्राहकों के नाम और पते उनके पूर्ण विवरण के साथ। शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया अपलोड करने की	

	आवश्यकता है।	
11	बैंक खाता (आईएफएस कोड और खाता संख्या) जहां निविदाकर्ता के संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	

तकनीकी बोली के लिए जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियां:

1. लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण (वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए)।
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न।
3. ग्राहकों की सूची।
4. शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों से प्रतिक्रिया।
5. निगमन दस्तावेज।
6. जहां भी लागू हो, पैन, टिन और जीएसटी पंजीकरण की प्रतियां।
7. क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) से लाइसेंस सहित गुवाहाटी में अग्निशमन व्यवसाय करने के लिए वैध लाइसेंस और सभी कानूनी/वैधानिक अनुमोदनों की प्रति।
8. कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है या बैंक द्वारा मांग की गई है।

बैंक उपर्युक्त विवरण में से किसी एक या सभी के प्रमाण/सत्यापन के लिए कॉल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घोषणा

(निविदाकर्ता के लेटर हेड पर तकनीकी बोली में प्रस्तुत किया जाना है, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित)

मैं/हमने इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन दिया है।

2. मैं/हम एतद्वारा ई-निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

3. मैं/हम यह भी समझते हैं कि केवल आवेदन पत्र भरने से हम स्वचालित रूप से सूचीबद्ध होने के योग्य नहीं हो जाते हैं। हम आरबीआई, गुवाहाटी के किसी भी या सभी आवेदनों (हमारे सहित) को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने के अधिकार से भी सहमत हूँ।

4. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम एतद्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ, जहां तक वे लागू हो सकते हैं या डिफॉल्ट रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को उक्त शर्तों में निर्दिष्ट राशि को जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।

5. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ कि निविदा निविदा खोलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है। मैं/हम बयाना धन जमा (ईएमडी) और प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए भी सहमत हूँ, जो सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे साठ (60) दिनों की अवधि के लिए वैध है।

6. मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम और अन्य सांविधिक प्रावधानों जैसे भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, राहत प्रभार, वर्दी और उसके भत्ते और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य शुल्क का पालन करेंगे। मैं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करूंगा और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मैं/हम बैंक की संतुष्टि के लिए मासिक आधार पर उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत करेंगे।

7. मैं/हम समझते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए के।

आज की तारीख

हस्ताक्षर :

नाम:

निविदाकर्ता की मुहर:

भाग I, खंड VI
कार्य का विस्तृत दायरा

- (i) चयनित निविदाकर्ता को बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी में तीन (3) उच्च कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और नौ (9) कुशल फायरमैन को तैनात करना होगा और तीन (3) अत्यधिक कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और नौ (9) कुशल फायरमैन को क्रिश्चियन बस्ती, जीएस रोड, गुवाहाटी में बैंक के अधिकारियों के क्वार्टरों में तैनात करना होगा। एक अतिरिक्त फायर सुपरवाइजर और तीन फायरमैन को रिलीवर के रूप में तैनात करना होगा। इस प्रकार तैनात किए जाने वाले अग्निशमन पर्यवेक्षकों और फायरमैन की कुल संख्या क्रमशः सात और इक्कीस है। इस संख्या को बैंक की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है (बढ़ाया या घटाया जा सकता है)।
- (ii) फायर सुपरवाइजरों और फायर फाइटर्स के ड्यूटी के घंटे बैंक द्वारा आवश्यकता के अनुसार तय किए जाएंगे। हालांकि, कंपनी/फर्म आठ घंटे की शिफ्ट में फायर सुपरवाइजर और फायर फाइटर्स को तैनात करेगी और उन्हें तीन शिफ्टों में चौबीसों घंटे काम करना चाहिए (सुबह 06:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक; दोपहर 02:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक) प्रतिदिन यानी 365 दिन अग्नि सुरक्षा प्रदान करना, अग्नि नियंत्रण कक्षों का संचालन करना, फायर अलार्म जैसे अग्नि सुरक्षा उपकरणों को पकड़ना और बनाए रखना। हाइड्रेंट, वेट/ड्राई रिसर सिस्टम, अग्निशामक, जनरल स्टाफ का प्रशिक्षण, स्थानीय फायर ब्रिगेड के साथ संपर्क आदि। कोई भी व्यक्तिगत फायर स्टाफ लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक ड्यूटी पर नहीं रहेगा। बीमारी/अन्य कारणों से जनशक्ति की किसी भी कमी को कंपनी/फर्म द्वारा तदर्थ आधार पर पूरा किया जाएगा। 10 दिनों से अधिक समय तक प्रतिनियुक्त व्यक्ति की अनुपस्थिति को प्रतिस्थापन के रूप में माना जाएगा।
- (iii) फायर सुपरवाइजर और फायर फाइटर्स को काम के घंटों के दौरान बैंक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। उन्हें प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और अग्निशमन कार्यों सहित अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपायों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- (iv) यदि कोई फायर सुपरवाइजर/फायर फाइटर्स बीमारी/खराब स्वास्थ्य के कारण ड्यूटी पर उपस्थित होने में असमर्थ है, तो एजेंसी समान क्षमताओं और सक्षम उच्च कुशल फायर सुपरवाइजर/कुशल फायर फाइटर्स के साथ उपयुक्त विकल्प प्रदान करेगी।
- (v) **कार्य का सामान्य दायरा:**
- A. अग्नि नियंत्रण कक्ष की चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है।
 - B. निर्धारित आवधिक समय पर सेवाक्षमता के लिए सभी अग्नि उपकरणों की जाँच करना।
 - C. सभी अग्निशमन उपकरणों के एएमसी सेवा प्रदाता द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी करना।
 - D. अग्निशमन पर बैंक कर्मचारियों का आवधिक प्रशिक्षण आयोजित करना।
 - E. प्रारंभिक चरण में आग पर काबू पाना और जब भी वे पहुंचते हैं फायर ब्रिगेड की सहायता करना।

- F. नियमित अग्निशमन अभ्यास करना।
- G. कार्य और प्रशासन के सभी पहलुओं पर अग्नि के प्रभारी सुरक्षा प्रबंधक के अधीन कार्य करना।
- H. फायर ऑडिट में सहायता करना।
- I. आग के खतरों की पहचान करने के लिए पूरे परिसरों/आवासीय कॉलोनियों का नियमित निरीक्षण करना और आग और भवन संहिता के उल्लंघनों से बचाव के लिए हटाना/कदम उठाना।
- J. सभी भागने के मार्गों और फायर लेन की प्रतिदिन जाँच करें और सुनिश्चित करें कि वे बाधाओं से मुक्त हैं।
- K. किसी घटना की स्थिति में खोज और बचाव और बचाव कार्यों में सहायता करना।
- L. आवश्यकता पड़ने पर शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों/आगंतुकों की सहायता करना।
- M. कंपनी/फर्म इस काम के लिए तैनात व्यक्तियों को अपने खर्च पर दो जोड़ी वर्दी प्रदान करेगी और इसमें फ्लोरोसेंट जैकेट भी शामिल होगी - जिस पर पीछे फायर सेफ्टी के रूप में अंकित है, फायर हेलमेट, सेफ्टी शूज, मोजे, सीटी के साथ डोरी, सर्दियों के लिए जर्सी, बरसात के मौसम के लिए रेन कोट/छाता, सभी चौकियों पर भरी हुई मशालें और लाठीयां भी शामिल होंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी का इस खाते पर कोई दायित्व नहीं होगा। वर्दी को क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, गुवाहाटी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- N. भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी द्वारा कोई आवास सुविधा या चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
- O. बैंक किसी भी चोट या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इयूटी के घंटों के दौरान किसी भी फायर स्टाफ को हो सकता है और किसी भी फायर स्टाफ की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अग्निशमन कर्मचारी प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रकोष्ठ, आरबीआई, गुवाहाटी के सीधे नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होंगे।

भाग I, खंड VII

भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी के मुख्य कार्यालय परिसर में अत्यधिक कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों की तैनाती के लिए नियम और शर्तें

संविदा की अवधि

संविदा शुरू में 01 सितंबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक बारह महीने की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि पहले समाप्ति खंड के अनुसार समाप्त न किया गया हो। संविदा को एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पारस्परिक नियमों और शर्तों पर नवीनीकृत और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह अवधि दो साल से अधिक नहीं होगी।

(A) काम करने का समय

1. सफल निविदाकर्ता को सभी दिनों में अपने उच्च कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों को तैनात करने की आवश्यकता होती है।
2. कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के इयूटी के घंटों का निर्धारण बैंक द्वारा आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(B) सामान्य नियम और शर्तें

1. भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी का इरादा एमओपी, भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी में तीन (3) अत्यधिक कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और नौ (9) कुशल अग्निशमन फाइटरों और तीन (3) अत्यधिक कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और नौ (9) कुशल अग्निशमन फाइटरों की तैनाती के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मों से ई-निविदाएं आमंत्रित करने का है। जीएस रोड, गुवाहाटी। एक अतिरिक्त फायर सुपरवाइजर और तीन फायरमैन को रिलीवर के रूप में तैनात करना होगा। इस प्रकार तैनात किए जाने वाले अग्निशमन पर्यवेक्षकों और फायरमैन की कुल संख्या क्रमशः सात और इक्कीस है। इस संख्या को बैंक की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है (बढ़ाया या घटाया जा सकता है)।
2. इच्छुक आवेदकों को अपनी आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में बैंक उनके आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
3. सेवा प्रदाताओं को उनके द्वारा लगाए गए कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। बैंक की विभिन्न संपत्तियों पर तैनात कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र आवश्यक है और उनकी तैनाती से पहले पुलिस सत्यापन रिपोर्ट आरबीआई, गुवाहाटी को उपलब्ध कराई जाएगी ।
4. फायर स्टाफ के पास न्यूनतम पूर्व-योग्यता मानदंड होने चाहिए:
 - a) फायरमैन को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए

- (प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने के लिए)
- b) फायर सुपरवाइजर को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए (प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं)
 - c) फायरमैन और फायर सुपरवाइजर दोनों को अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में सक्षम होना चाहिए और वे हिंदी या असमिया में से किसी एक को पढ़ और लिख सके।
 - d) पर्यवेक्षकों को सरकार / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 03 (तीन) महीने की अवधि के अग्निशमन में एक बुनियादी पाठ्यक्रम से गुजरना चाहिए। उनके पास प्रतिष्ठित संगठनों में समान क्षमता में काम करते हुए प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और अग्निशमन कार्यों सहित अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपायों में न्यूनतम 03 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
 - e) अग्निशमनकों को सरकार/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन का बुनियादी कोर्स किया जाना चाहिए। उन्हें प्रतिष्ठित संगठनों में समान क्षमता में काम करते हुए प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और अग्निशमन कार्यों सहित अग्नि सुरक्षा और सुरक्षा उपायों में न्यूनतम 01 (एक) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
5. प्रदान की जाने वाली सेवा किसी भी कार्य या चूक के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार होगी और उसे ठीक करेगी, जो उनकी ओर से या बैंक की संपत्ति के लिए अपने कर्मचारियों/एजेंटों की ओर से होती है।
 6. सेवा प्रदाता सक्षम सरकारी प्राधिकारियों से पंजीकरण/लाइसेंस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। आरबीआई किसी भी प्रचलित कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। आवश्यक दस्तावेज, यदि कोई हो, प्रस्तुत किए जाने हैं।
 7. सफल बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किया गया पूरा कार्यबल विनम्र और अच्छे शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार वाले हैं और अच्छी तरह से तैयार हैं और अच्छे संचार कौशल वाले हैं और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखते हैं और उन्हें अत्यंत अनुशासन की छवि पेश करनी चाहिए।
 8. यदि संविदा के तहत सफल बोलीदाता द्वारा तैनात कोई भी कार्मिक अनुपस्थित है (हैं), तो तुरंत एक विकल्प प्रदान किया जाएगा। विकल्प प्रदान किए बिना अनुपस्थिति के मामले में, सफल बोलीदाता के बिलों से आनुपातिक राशि काट ली जाएगी।
 9. यदि यह देखा जाता है कि सफल निविदाकर्ता द्वारा तैनात कामकों को काम के लिए रिपोर्ट करने में बार-बार देरी हो रही है या निर्धारित समय से पहले अपना काम पूरा किए बिना परिसर छोड़ दिया जाता है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास उचित समझे जाने पर मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित है।
 10. यदि सफल निविदाकर्ता द्वारा लगाए गए कर्मियों के कदाचार/दुरुपयोग या काम की खराब गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी प्रत्येक घटना के लिए ₹2000/- का जुर्माना लगाया जाएगा और इसे सफल निविदाकर्ता के बिल से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, सफल निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह आरबीआई द्वारा अधिसूचित किए जाने के तुरंत बाद उक्त कर्मियों को साइट से

हटा दे।

11. सफल निविदाकर्ता द्वारा इस प्रकार नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मचारी को इयूटी के दौरान फर्म/कंपनी आदि के नाम और लोगो, जूते और अपने नाम के साथ एक बैज पहनना होगा।
12. आरबीआई को पर्याप्त आधार पर सफल निविदाकर्ता द्वारा तैनात किसी भी कार्मिक को हटाने के लिए कहने का अधिकार है।
13. सफल निविदाकर्ता किसी भी उप-एजेंसी को नियुक्त नहीं करेगा या किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को संविदा हस्तांतरित नहीं करेगा।
14. सफल निविदाकर्ता अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ तैनात किए जाने वाले अपने कर्मियों के चरित्र और पूर्ववृत्त पर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। सफल निविदाकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य कार्यालय भवन में इयूटी पर लगाने से पहले अपने पासपोर्ट आकार के फोटो जमा करने होंगे। केवल 21-55 वर्ष की आयु के बीच के सक्षम शरीर, शारीरिक रूप से फिट, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, साक्षर, शिष्ट और ईमानदार कर्मियों को ही कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के रूप में तैनात किया जाएगा। इस आशय का प्रमाण पत्र कि भारतीय रिज़र्व बैंक की सेवाओं में तैनात सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन किया जा चुका है और सफल निविदाकर्ता के पास उपलब्ध हैं, संविदा के प्रभावी होने के एक महीने के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक संविदा की निरंतरता के दौरान किसी भी समय इन्हें सत्यापित कर सकता है। यह निविदा की एक महत्वपूर्ण शर्त है।
15. सफल निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों का पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है, जिसके लिए आरबीआई द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संविदा के निष्पादन के एक भाग के रूप में सफल निविदाकर्ता द्वारा तैनात व्यक्तियों को किसी भी क्षति/चोट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इयूटी पर रहते हुए किसी भी दुर्घटना या मृत्यु से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियां सफल निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएंगी।
16. सफल निविदाकर्ता और उसके कर्मचारी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उन्हें दिए गए उत्तरदायित्व के क्षेत्रों के हानि, विनाश, बर्बादी या दुरुपयोग से बचाने के लिए उचित और उचित सावधानी बरतेंगे और जानबूझकर किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी प्रभाव को उधार नहीं देंगे।
17. सफल निविदाकर्ता आरबीआई की सभी संपत्ति और उपकरणों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से हुई क्षति या हानि की वसूली सफल निविदाकर्ता से की जाएगी।
18. सफल निविदाकर्ता की ओर से किसी भी चूक के परिणामस्वरूप आरबीआई को किसी भी नुकसान की स्थिति में, उक्त नुकसान का दावा नुकसान के मूल्य तक किया जाएगा। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक,

आरबीआई, गुवाहाटी का निर्णय अंतिम होगा और सफल निविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

19. किसी भी मुकदमेबाजी या सफल बोलीदाता के कर्मियों के किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाली कोई भी देयता सीधे इसके द्वारा वहन की जाएगी, जिसमें सभी खर्च/जुर्माना शामिल हैं। सफल बोलीदाता के कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर अदालत में उपस्थित होंगे।
20. यदि श्रम प्राधिकारियों के किसी भी निर्देश या किसी भी श्रम कानून या विनियम के तहत किए गए दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप किसी भी राशि का भुगतान आरबीआई और सफल बोलीदाता के बीच किए जाने वाले संविदा के संबंध में आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो ऐसी राशि को सफल बोलीदाता द्वारा ऐसे निर्देशों के पंद्रह दिनों के भीतर आरबीआई को देय माना जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस राशि को सफल बोलीदाता से इसके कारण होने वाले धन से कटौती करके वसूलने का हकदार होगा।
21. विक्रेता सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किए गए संविदा के तहत कार्य/सेवाओं से उत्पन्न होने वाले या उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी दावों, नुकसानों, हानि और खर्चों से और उनके खिलाफ आरबीआई को क्षतिपूर्ति करेगा और अप्रभावित रखेगा।
22. भारतीय रिज़र्व बैंक संविदा की समाप्ति के बाद सफल बोलीदाता द्वारा तैनात किसी भी कार्मिक को रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक में किसी भी रोजगार का कोई अधिकार संविदा के तहत किसी भी कार्य के लिए कर्मियों की नियुक्ति के आधार पर अर्जित या उत्पन्न नहीं होगा।
23. यदि भुगतान के बाद लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप सफल बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी अधिक भुगतान का पता चलता है या निविदा के तहत सफल बोलीदाता द्वारा किए गए कथित रूप से किया गया है, तो इसे बाद में सफल बोलीदाता से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वसूल किया जाएगा।
24. करार के निष्पादन के बाद संशोधन की आवश्यकता वाले संविदा के किसी भी प्रावधान की स्थिति में, इसे लिखित रूप में किया जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसका प्रतिनिधित्व उसके प्राधिकृत अधिकारी और सफल बोलीदाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। संविदा में इस तरह के संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।
25. सफल बोलीदाता एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें कर्मियों की दिन-प्रतिदिन की तैनाती दर्ज की जाएगी। बिल उठाते समय, प्रत्येक माह के दौरान लगाए गए कामकों की तैनाती का विवरण, शिफ्ट वार, पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित और भारतीय रिज़र्व बैंक के केयर टेकर और सुरक्षा प्रबंधक द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित विवरण दिखाया जाना चाहिए। सफल बोलीदाता को सरकारी नियमों और कानूनों के अनुसार आरबीआई में तैनात कर्मियों को मजदूरी के भुगतान के संबंध में एक शपथ पत्र देना होता है।
26. किसी भी कारण से संविदा की समाप्ति की स्थिति में , सफल बोलीदाता/या इसके द्वारा नियोजित व्यक्ति या उसके एजेंटों मुआवजे, क्षति या अन्यथा के रूप में आरबीआई से किसी भी राशि या रकम के हकदार नहीं होंगे।

27. सफल बोलीदाता केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से नियोजित कामगारों को केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करेगा और भुगतान किए गए मजदूरी का एक रजिस्टर बनाए रखेगा और नियोजित प्रत्येक कामगार को मजदूरी पर्ची जारी करेगा और मजदूरी पर्चियों पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा। इसके अलावा, सफल बोलीदाता को ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अनुसार अपने कर्मचारियों को पेयजल, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं। साथ ही, इसे प्रधान नियोक्ता को उन सभी कार्रवाइयों के खिलाफ क्षतिपूर्ति रखनी चाहिए जो वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा प्रधान नियोक्ता के खिलाफ इस तरह के वेतन का भुगतान करने और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में विफलता के लिए शुरू की जा सकती हैं।
28. सफल बोलीदाता ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 या लागू किसी अन्य कानून के तहत यथा अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करेगा, जिसमें विफल रहने पर वह ही यह सुनिश्चित करने वाली कार्रवाई/कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को सफल बोलीदाता के कार्यों, कमीशन या चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और किसी भी तरह से सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गए श्रमिकों के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।
29. सफल बोलीदाता मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 या इस संबंध में लागू किसी अन्य श्रम कानून/कानून के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के लिए सभी हानियों और दावों, हर्जाने या मुआवजे के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा और क्षतिपूर्ति करेगा। इस संबंध में केवल सफल बोलीदाता देनदारियों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदार होगा।
30. सफल बोलीदाता को अपने कर्मचारियों को हर महीने की कम से कम 10 तारीख तक एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा एक बैंक खाता बनाए रखा जाना चाहिए।
31. सफल बोलीदाता को दूसरे महीने से अगले महीने के चालान के साथ हर महीने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आरबीआई में तैनात उसके सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान केंद्र सरकार के सभी नियमों और विनियमों और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार किया गया हो। इस प्रमाण पत्र के बिना, बिल भुगतान संसाधित नहीं किया जाएगा।
32. सफल बोलीदाता को मासिक आधार पर प्रत्येक कर्मचारी के पीएफ/ईएसआई/वेतन आदि के लिए कर्मचारियों के योगदान को जमा करने का प्रमाण आरबीआई को प्रस्तुत करना चाहिए।
33. किए गए कार्य/प्रदान की गई सेवा के लिए सफल बोलीदाता को भुगतान निम्नलिखित के अधीन मासिक आधार पर किया जाएगा।
34. भारतीय रिज़र्व बैंक संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार उस महीने के लिए निष्पादित कार्य की गुणवत्ता के बारे में संतुष्ट है, जिसके लिए सफल बोलीदाता ने बिल उठाया है।

- a) सफल बोलीदाता के श्रमिकों को मजदूरी का संवितरण सफल बोलीदाता द्वारा उस महीने के लिए पहले ही किया जा चुका है जिसके लिए सफल बोलीदाता को भुगतान विचाराधीन है।
 - b) इस संबंध में सफल बोलीदाता द्वारा पहले उल्लेख किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। हालांकि, इन भुगतानों को करने के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी भी समय इसके सत्यापन के लिए कहा जा सकता है।
35. भारतीय रिज़र्व बैंक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-सी के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती करेगा, जो उसमें शामिल आय पर आयकर के रूप में प्रचलित दरों पर होगा। कोई अन्य वैधानिक कटौती, यदि आवश्यक हो, तो भी लागू होगी।
 36. निविदाकर्ता को बिल का भुगतान आम तौर पर बैंक द्वारा बिल प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा किया जाएगा, जो सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के अधीन है। हालांकि, यदि किसी भी कारण से 45 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो इसे तुरंत बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है।
 37. सेवा प्रदाताओं के दिवालिया होने की स्थिति में सेवा प्रदाताओं के साथ की गई व्यवस्था समाप्त हो जाएगी।
 38. सेवा प्रदाताओं के चयन पर निर्णय लेते समय, अच्छी सेवा की क्षमता और क्षमता पर जोर दिया जाएगा।
 39. सेवा प्रदाता बैंक द्वारा दी जाने वाली छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्बाध सेवा सुनिश्चित करेगा। खराब सेवा की स्थिति में, बैंक सेवा प्रदाताओं के साथ व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
 40. आवेदन पत्र पर संगठन की ओर से एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो ऐसा करने के लिए विधिवत अधिकृत है।
 41. पूर्ण और पूरी जानकारी प्रदान की जा सकती है, और यदि आवश्यक हो तो विधिवत हस्ताक्षरित कागज की एक अलग शीट का उपयोग किया जा सकता है।
 42. गलत या अपर्याप्त जानकारी वाले आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
 43. यदि काम दिया जाता है, तो ठेकेदार को अपने कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा नीति प्रस्तुत करनी होगी जो संविदा की अवधि तक वैध होनी चाहिए।
 44. बैंक इयूटी के घंटों के दौरान होने वाली किसी भी चोट या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और अत्यधिक कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशामकों को चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
 45. ऊपर उल्लिखित सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता द्वारा तैनात कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षक और कुशल अग्निशमन कर्मी सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे और इस तरह तैनात व्यक्ति सेवा प्रदाता के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहेंगे और किसी भी स्थिति में, नियोक्ता और कर्मचारी का उक्त व्यक्तियों और आरबीआई के बीच संबंध नहीं होगा। गुवाहाटी परोक्ष रूप से या स्पष्ट रूप से उपार्जित/उत्पन्न होगा। यह सुनिश्चित करना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा तैनात श्रमिकों के संबंध में इस संबंध में कोई दायित्व आरबीआई, गुवाहाटी पर नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता

रोजगार आदि से संबंधित कानून और अपने कर्मचारियों पर लागू होने वाले अन्य कानूनों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा। यह सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह उच्च कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमकों को भोजन/टिफिन/चाय/कॉफी/आवास प्रदान करे।

46. सेवा प्रदाता द्वारा कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों के लिए चिकित्सा आपातकालीन सहायता प्रदान की जाएगी।
47. यदि सेवा प्रदाता द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई भी व्यक्ति सही तरीके से काम नहीं करता है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त है, तो सेवा प्रदाता तुरंत वापस ले लेगा और आरबीआई की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। इस संबंध में गुवाहाटी को संबोधित किया जा रहा है। इसके अलावा, सेवा प्रदाता उक्त व्यक्ति की ओर से उपरोक्त कृत्यों के मामले में आरबीआई, गुवाहाटी की मांग पर तैनात विशेष व्यक्ति को तुरंत बदल देगा।
48. सेवा प्रदाता आरबीआई, गुवाहाटी के परिसर में अपने द्वारा तैनात व्यक्तियों की हालिया तस्वीर के साथ नाम, माता-पिता, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगा। कार्य के लिए तैनात सेवा प्रदाता के कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, वह उनकी तस्वीरों/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारी इयूटी के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।
49. सेवा प्रदाता मजदूरी और अन्य सभी देय राशियों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे वे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक सांविधिक अधिनियमों के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं। सफल बोलीदाता ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, ईएसआई अधिनियम 1948, कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1965 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। (ख) सरकार ने 1972 से 1972 में एक नियम जारी किया है और ऐसे नियम जहां समय-समय पर ठेका कामगारों पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून और नियमों के तहत या किसी अन्य कानून और नियमों के तहत लागू किया जा सकता है। सफल बोलीदाता रजिस्टर और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
50. सफल बोलीदाता इस संविदा के संबंध में भारत में कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगा और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। सफल बोलीदाता प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण की पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगा और सफल बोलीदाता के कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देयता के खिलाफ आरबीआई को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति देगा।

(C) कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का

अनुपालन

1. सफल बोलीदाता "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसर में अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, सफल बोलीदाता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और यह शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
 2. भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सफल बोलीदाता के किसी भी पीड़ित कामगार द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का भारतीय रिज़र्व बैंक की क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित या संवेदनशील बनाने के लिए जिम्मेदार होगा।
 3. सफल बोलीदाता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे सफल बोलीदाता के कर्मचारियों को शामिल करने की घटना में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए आरबीआई कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि सफल बोलीदाता के कर्मचारी द्वारा यौन दुर्व्यवहार साबित हो जाता है।
- (D) **गैर-प्रकटीकरण खंड:** सफल बोलीदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरबीआई के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो आरबीआई के साथ किए जाने वाले समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान सफल बोलीदाता के कब्जे या जानकारी में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। सफल बोलीदाता संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। सफल बोलीदाता भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगा। सफल बोलीदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप आरबीआई को हुए किसी भी नुकसान के लिए आरबीआई को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को सफल बोलीदाता की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और भारतीय रिज़र्व बैंक हर्जाने का दावा करने और इसके लिए कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खंड के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में सफल बोलीदाता के दायित्व किसी भी कारण से आरबीआई के साथ किए जाने वाले इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

(E) संविदा की समाप्ति के लिए सूचना

बैंक के साथ किए जाने वाले संविदा को किसी भी पक्ष द्वारा एक महीने का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। सेवा प्रदाता संविदा की समाप्ति पर या संविदा की समाप्ति पर आरबीआई, गुवाहाटी के परिसर से अपने द्वारा सभी उच्च कुशल अग्निशमन पर्यवेक्षकों और कुशल अग्निशमन कर्मियों को हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आरबीआई, गुवाहाटी में स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या पैदा न करे।

(F) वेतन संरचना

- a) पर्यवेक्षक और फायरमैन के लिए मूल्य केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उद्धृत किया जाना चाहिए, क्षेत्र बी के लिए क्रमशः वॉच एंड वॉच (हाथ के साथ) और वॉच एंड वॉच (बिना हाथ के)।
- b) बोली लगाने वालों द्वारा बताए गए सर्विस चार्ज, कुल मैनपावर चार्ज के 3% या उससे ज्यादा होने चाहिए। सर्विस चार्ज में वे सभी आइटम/सामान/एक्सेसरीज़/यूनिफ़ॉर्म/इक्विपमेंट और कोई भी अन्य चार्ज/आइटम शामिल होने चाहिए जो सफल बोली लगाने वाले को तैनात फ़ायर स्टाफ़ को देने होंगे; इनके बारे में टेंडर डॉक्यूमेंट के काम के विस्तृत विवरण (detailed scope of work) में साफ़ तौर पर बताया गया है। सर्विस चार्ज में 'ऑल रिस्क पॉलिसी, वर्कमैन कम्पेनसेशन पॉलिसी और थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी (लोगों को चोट लगने पर - ₹2.00 लाख प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना, और संपत्ति को नुकसान होने पर - ₹5.00 लाख प्रति दुर्घटना)' लेने का खर्च भी शामिल होगा। बिल के सेटलमेंट के समय लागू नियमों के अनुसार जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। जो बोली लगाने वाले कुल मैनपावर चार्ज के 3% से कम सर्विस चार्ज बताते हैं, बैंक उनके टेंडर को रिजेक्ट कर सकता है।
- c) वित्तीय बोली में उद्धृत सेवा शुल्क का प्रतिशत संविदा की पूरी अवधि के दौरान तय रहेगा। बैंक किसी भी परिस्थिति में संविदा की अवधि के दौरान सेवा प्रभारों के प्रतिशत में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा।
- d) ठेकेदार का मुनाफ़ा: टेंडर भरने वालों को कुल मैनपावर खर्च का 15% मुनाफ़ा प्रतिशत बताने की अनुमति है।
- e) केंद्र सरकार से कम 'उद्धृत दरों' वाली निविदाओं को अस्वीकार किया जाना तय है।

(G) मध्यस्थता

- एक. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किए जाने वाले संविदा से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद और/या अंतर को संबंधित पक्षों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालांकि, यदि विवादों को संयुक्त चर्चा द्वारा हल नहीं किया जाता है, तो मामले को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।
- दो. एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होगी।
- तीन. मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही और संविदा की मुद्रा के लंबित रहने के दौरान, कोई भी पक्ष उस कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा जिससे विवाद मध्यस्थता प्रक्रिया की निरंतरता के कारण संबंधित है और सफल बोलीदाता को भुगतान संविदा के संदर्भ में किया जाता रहेगा।
- चार. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किया जाने वाला करार केवल गुवाहाटी के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

(H) संविदा प्रदान किया जाना

1. भारतीय रिज़र्व बैंक इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने पर सफल मूल्यांकन वाले बोलीदाता को ठेका प्रदान करेगा।
2. आरबीआई "लेटर ऑफ ऑफर" के माध्यम से संविदा देने के अपने निर्णय को सूचित करेगा।
3. सफल बोलीदाता को उक्त प्रस्ताव पत्र जारी होने की तारीख से 10 दिनों की अवधि के भीतर एक समझौते को निष्पादित करना होगा।
4. सफल बोलीदाता को "प्रस्ताव पत्र" प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारंटी की राशि @ अनुमानित संविदा मूल्य का 5% प्रस्तुत करना होगा।
5. बैंक गारंटी सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी।
6. यदि संविदा की अवधि को और बढ़ाया जाता है, तो बैंक गारंटी की वैधता भी सफल बोलीदाता द्वारा तदनुसार बढ़ाई जाएगी।
7. पीबीजी जमा करने में देरी होने पर, सफल टेंडरर के बिलों से बैंक दर पर देरी का शुल्क वसूला जाएगा।
8. सफल बोलीदाता निर्धारित प्रदर्शन में, पर्यवेक्षक सहित कर्मियों के नामों का उल्लेख करेगा, जिसे वह दिन-प्रतिदिन के आधार पर तैनात करने का प्रस्ताव करता है, जिसे कार्य के सुचारु निष्पादन के लिए संविदा की शुरुआत में प्रस्तुत किया जाएगा।

मैं/हमने सामान्य जानकारी, कार्य के दायरे, नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से ऊपर उल्लिखित पढ़ा है और यदि प्रदान किया जाता है, तो संविदा को निष्पादित करते समय इसे स्वीकार करते हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर और मुहर
(कृपया सभी पृष्ठों के नीचे हस्ताक्षर करें)

अनुलग्नक I

पिछले पांच (05) वर्षों के दौरान निष्पादित इसी तरह के कार्यों का ब्यौरा

क्रम संख्या	पूरे पते और संपर्क के साथ ग्राहक का नाम नंबर/फैक्स आदि।	काम का नाम	काम का मूल्य	पूरा होने की तारीख	काम देने की तारीख	स्टेटस

(यदि आवश्यक हो तो अलग शीट जोड़ें)

स्थान:

दिनांक :

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

बैंकर्स प्रमाणपत्र
बैंक के लेटरहेड पर

Ref. No.:

SECRET

To
The Regional Director,
HRMD, Reserve Bank of India Phone:
Guwahati, Pan Bazaar
GUWAHATI, PIN-781001

Fax:
Email:

Dear Sir,

BANKERS CERTIFICATE: Deployment of Fire Staff (Fire Supervisors and Fire Fighters) at Bank's Main Office Premises, Reserve Bank of India, Guwahati and Residential Quarters at RBI Officers' Colony, Christian Basti, G.S. Road, Guwahati

We confirm that M/s..... (Address) are banking with us. They may be considered financially sound for entrusting with any contract work of above type that may cost up to INR Lakh (Rupeesonly).

2. Other particulars are given below for your perusal and record:

Sl. No.	Particulars	Comments of the Bank
1	Composition of the firm (whether partnership/proprietorship/Public Ltd.)	
2	Turnover of the firm for the last three years 2023-24 2024-25 2025-26	In INR
3	Credit facility/overdraft facility enjoyed by them	Yes/no/up to INR.....
4	Dealings	
5	The period from which the firm has been banking with the Banker.	

6	Any other remarks	
---	-------------------	--

3. This certificate is issued without any Guarantee or responsibility on the bank or any of its offices.

Yours faithfully,

(Signature)

Authorized signatory
of the Bank with Seal
Address:

Note:

1. Bankers' certificate should be sealed and addressed to Regional Director, Reserve Bank of India, GUWAHATI- 781001

2. In case of partnership firm, certificate to include names of all partners as recorded with the Bank.

Seal of the Bank

बैंकों का विवरण

बैंक का नाम:

शाखा का नाम और उसका पूरा डाक पता:

संपर्क व्यक्ति का नाम और नौकरी का शीर्षक उसके टेलीफोन नंबर (ओं) और फैक्स नंबर (ओं) के साथ, आदि:

खाते का प्रकार:

खाता संख्या:

IFSC कोड:

क्या बोलीदाता द्वारा क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ लिया गया है:

वह अवधि जिससे बोलीदाता बैंक के साथ बैंकिंग कर रहा है:

कोई अन्य जानकारी जो बोलीदाता अपने बैंक के बारे में प्रस्तुत करना चाहता है:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(नाम और मुहर के साथ)

अनुलग्नक IV

(ग्राहक द्वारा निविदाकर्ता के माध्यम से सीलबंद कवर में हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाना है)

ग्राहक की रिपोर्ट

(ग्राहक के लेटर हेड पर)

Performance details of the Firm: M/s Located at.....

1	Work order/reference No. and Agreement Date	
2	Gross Value of the Contract (in Rupees)	
3	Date of commencement of Contract	
4	Whether the Service carried out as per agreement and the scope of the work entered with the Firm	
5	Reason for delay (if any) and whether any penalty/liquidated damage, if any, was imposed on the firm	
6	Comments on capabilities of the firm(indicate grading)	
	a Quality of Service provided by the firm	Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
	b Technical proficiency/competence	Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
	c Integrity and reliability of the partners/proprietors of the firm	Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
	d Integrity and reliability of the Personnel deployed	Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
	e Dealings in the execution of the work, adherence to schedule and time	Outstanding/Very Good/ good/Satisfactory/Poor
7	Did the firm go for arbitration?	
8	Any other information in your view will help us in making our decision.	

रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर (कार्यालय मुहर के साथ)

पता

सम्पर्क करने का विवरण:

बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

Proforma for Bank Guarantee

(On Non-Judicial Stamp Paper of appropriate value purchased in the name of the issuing bank)

Place: _____

Date: _____

The Regional Director
Reserve Bank of India,
Guwahati
Dear Sir,

Contract for Deployment of Fire Staff (Fire Supervisors and Fire Fighters) at Bank's Main Office Premises, Reserve Bank of India, Guwahati

WHEREAS

Reserve Bank of India, having its Central Office at Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai, through its office at Reserve Bank of India, Station Road, Panbazar, Guwahati (hereinafter called "the RBI") has awarded the Contract for the captioned work (hereinafter called the "Contract") to M/s..... (Name of the Contractor) (Hereinafter called "the said Contractor", which expression shall include its successors and assigns).

AND Whereas under the said contract the Contractor is bound by the said Contract to submit to RBI, Guwahati a Performance Bank Guarantee for a total amount of ₹..... (**Rupees**) in for the due fulfilment by the said Contractor of the terms and conditions contained in the contract. We, ... (Name of the Bank), (hereinafter called "the Bank"), at the request of M/s, the Contractor, do hereby undertake to pay to RBI, an amount not exceeding ₹..... (**Rupees**) in as Performance Guarantee for due fulfilment of terms and conditions of the contract.

NOW THIS GUARANTEE WITNESSETH

We (Name of the Bank) do hereby agree with and undertake to RBI, their Successors, Assigns that in the event of RBI coming to the conclusion that the Contractor has not performed his obligations as per the terms & conditions of the said contract or have committed a breach thereof, which conclusion shall be binding on us as well as the said Contractor; we shall on demand by RBI, pay without demur to RBI, a sum of ₹..... (**Rupees**) in or any lower amount that may be demanded by RBI. Our guarantee shall be treated as equivalent to the Performance Guarantee Amount for the due performance of the obligations of the Contractor under the said Contract, provided, however, that our liability against such sum shall not exceed the sum of ₹..... (**Rupees**

-)
1. We also agree to undertake and confirm that the sum not exceeding ₹..... (**Rupees**) as aforesaid shall be paid by us without any demur or protest, merely on demand from RBI on receipt of a notice in writing stating that the amount is due to them and we shall not ask for any further proof or evidence and the notice from RBI shall be conclusive and binding on us and shall not be questioned by us in any respect or manner whatsoever. We shall pay to RBI any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the Contractor in any suit or proceedings pending before any Court, Tribunal or Arbitrator/s relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal. We undertake to pay the amount claimed by RBI within a period of one week from the date of receipt of the notice as aforesaid.
 2. We confirm that our obligation to RBI under this guarantee shall be independent of the agreement or agreements or other understandings between RBI and the Contractor.
 3. This guarantee shall not be revoked by us without prior consent in writing of RBI.

We hereby further agree that –

- a) Any forbearance or commission on the part of the RBI in enforcing the conditions of the said contract or in compliance with any of the terms and conditions stipulated in the said Contract and/or hereunder or granting of any time or showing of any indulgence by the RBI to the Contractor or any other matters in connection therewith shall not discharge us in any way and our obligation under this guarantee. This guarantee shall be discharged only by the performance by the Contractor of their obligations and in the event of their failure to do so, by payment by us of the sum not exceeding ₹..... (**Rupees**). Our liability under these presents shall not exceed the sum of ₹..... (**Rupees**).
- b) Our liability under these presents shall not be affected by any infirmity or irregularity on the part of our said constituents/clients or their obligations thereunder or by dissolution or change in the constitution of our said constituents.
- c) This guarantee shall remain in force up to Sixty (60) days beyond the Defect liability period provided that if so desired by RBI, this guarantee shall be renewed for a further period as may be indicated by them on the same terms and conditions as contained herein.
- d) Our liability under these presents will terminate unless these presents are renewed as provided hereinabove on the or on the day when our said constituents comply with their obligations, as to which a certificate in writing by RBI alone is the conclusive proof whichever date is later. Unless a claim or suit or action is filed against us within or any extended period, all the rights of RBI against us under this guarantee shall be forfeited and we shall be released and discharged from all our obligations and liabilities hereunder.

In witness whereof, I/We of the bank have signed and sealed this guarantee on the ----- day of (Month) (Year) being herewith duly authorized.

For and on behalf of_____(Name of the Bank)

Signature and Seal of authorized Bank official

Name:
Designation
Stamp/ Seal of the Bank

Signed, sealed and delivered for and on behalf of the Bank by the above named in the presence of:

Witness 1
Signature
Name
Address

(एनबी: इस बैंक गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टॉप शुल्क की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाता है और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और अधिकार सत्यापित किए जाएंगे)।

बोली मूल्यांकन प्रक्रिया

- 1) यदि एक से अधिक L1 मौजूद हैं, तो मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली एजेंसी को संविदा से सम्मानित किया जाएगा:

(i)	संचालन में वर्षों की संख्या	अधिकतम 25 अंक
a)	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	15 अंक
b)	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक	20 अंक
c)	15 वर्ष से अधिक	25 अंक
(ii)	टर्नओवर (अंतिम वित्तीय वर्ष)	अधिकतम 25 अंक
a)	65 लाख से अधिक और 2 करोड़ तक	15 अंक
b)	2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक	20 अंक
c)	5 करोड़ से अधिक	25 अंक
(iii)	रोल पर जनशक्ति की संख्या	अधिकतम 25 अंक
a)	20 तक	10 अंक
b)	20 से अधिक और 50 तक	15 अंक
c)	50 से अधिक और 100 तक	20 अंक
d)	100 से अधिक	25 अंक
(iv)	गुणवत्ता संबंधी अंक	अधिकतम 25 अंक
a)	आईएसओ (5 वर्ष से कम)	05 अंक
b)	आईएसओ (5-10 वर्ष)	15 अंक
c)	एसए 8000	05 अंक
d)	ओएचएसएस 18001	05 अंक

- 2) एजेंसियों को मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सहायक दस्तावेज अपलोड और जमा करने होंगे।
- क. कंपनी स्थापना प्रमाण पत्र और कंपनियों के पहले कार्य आदेश की प्रतिलिपि / पूर्णता प्रमाण पत्र / समझौते की प्रति इस प्रमाण के लिए कि संगठन सेवा संविदा संचालन में है।
- ख. चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एजेंसी द्वारा दावा किए गए वित्तीय वर्षों की संख्या के लिए आईटी रिटर्न, लाभ और हानि और शेष विवरण।
- ग. 31 मार्च, 2026 तक रोल पर जनशक्ति की संख्या के लिए स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र।
- घ. आईएसओ, एसए8000 और ओएचएसएस 18001 प्रमाणपत्रों की प्रति।

भाग II
वित्तीय बोली/मूल्य बोली

कार्य का नाम: बैंक के मुख्य कार्यालय परिसर, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी और आरबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, क्रिश्चियन बस्ती, जीएस रोड, गुवाहाटी में आवासीय क्वार्टरों में फायर स्टाफ (फायर सुपरवाइजर और फायर फाइटर्स) की तैनाती के लिए ई-टेंडर

(केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के उद्देश्य से पढ़ा जाना चाहिए न कि पीडीएफ अपलोड करने के लिए)
तालिका-I

क्रम	विवरण	माप की इकाई	आवश्यक व्यक्तियों की संख्या	दर (₹)	कुल राशि (₹)
A	B	C	D	E	F
1.	मूल न्यूनतम वेतन प्लस वीडिए, ईपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफ एडमिन, ईडीएलआई और बोनस	मासिक पत्रिका (30 दिन)	04 पर्यवेक्षक	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
2.	मूल न्यूनतम वेतन प्लस वीडिए, ईपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफ एडमिन, ईडीएलआई और बोनस	मासिक पत्रिका (30 दिन)	11 अग्निशमन कर्मचारी	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
3.	कुल जनशक्ति शुल्क (1+2)				
4.	01 (एक) महीने के लिए सेवा शुल्क (कुल जनशक्ति शुल्क का प्रतिशत जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 3 में दर्शाया गया है)	मासिक पत्रिका (30 दिन)	ना	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
5.	1 (एक) महीने के लिए ठेकेदार का लाभ (कुल जनशक्ति शुल्क का प्रतिशत जैसा कि ऊपर क्रम संख्या 3 में दर्शाया गया है)	मासिक पत्रिका (30 दिन)	ना	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
6.	01 (एक) महीने के लिए कुल लागत (3+4+5)				

नोट:-

1. पर्यवेक्षक और फायरमैन के लिए मूल्य क्षेत्र बी के लिए क्रमशः वॉच एंड वॉच (हाथ के साथ) और वॉच एंड वॉच (हाथ के बिना) के तहत केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उद्धृत किया जाना है।
2. ऊपर उद्धृत मूल्य में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निविदाकर्ता के सभी वैधानिक दायित्वों को शामिल किया जाना चाहिए: ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित वर्तमान और लागू न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित) से अधिक); कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936; कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (विविध प्रावधान) 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938 और या कोई अन्य नियम/विनियम और/या मूर्तियां जो समय-समय पर उन पर लागू हो सकती हैं।
3. न्यूनतम मजदूरी से कम मूल्य वाली बोलियां (जैसा कि ऊपर उल्लिखित सांविधिक दायित्वों सहित) अस्वीकृत की जा सकती हैं।

तालिका 2: मजदूरी के वैधानिक घटक लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अधीन हैं जो नीचे दिए गए हैं। ये परिवर्तन के अधीन हैं और निविदाकर्ता द्वारा नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

1.	12%	ईपीएफ योगदान @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 12%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
2.	0.5%	ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 0.5%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
3.	0.5%	ईडीएलआई योगदान @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 0.5%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
4.	3.25%	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में नियोक्ता का योगदान जिसमें व्यवस्थापक शुल्क शामिल हैं, यदि कोई हो, तो मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का @ 3.25%	(यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000/- प्रति माह से अधिक है या ईएसआईसी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य राशि है, तो लागू नहीं)
5.	8.33%	बोनस @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 8.33%	(यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000/- प्रति माह से अधिक है या समय-समय पर बोनस अधिनियम द्वारा अपडेट की गई कोई अन्य राशि है, तो लागू नहीं है।)

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि ऊपर उद्धृत मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक श्रमिकों (भवन संचालन) (कुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए) के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है, और अन्य अनिवार्य शुल्क अर्थात् ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

मैं/हम सहमत हैं कि वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है।

मैं/हमने ई-टेंडर के नियमों और शर्तों का अध्ययन किया है और उनसे सहमत हूँ।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)